राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया

56वीं एसएलबीसी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : **10.08.2016**

स्थान –होटल रैडिसन ब्लू, रांची

56वीं झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
56th SLBC MEETING, JHARKHAND

56वीं झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन दिनांक **10.08.2016** को होटल रेडिसन ब्लू, रांची में किया गया। बैठक का आरम्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री एस.के.मुख़र्जी द्वारा सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत संबोधन से हुआ | तत्पश्चात सभी मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ दे कर स्वागत किया गया |

इसके तुरंत बाद व्यवसाय सत्र की शुरुवात की गयी | व्यवसाय सत्र में बैठक की अध्यक्षता श्री एन.एन.सिन्हा , प्रधान सचिव ,ग्रामीण विकास ,झारखंड सरकार ने किया। बैठक में श्री के. के. सोन, सचिव, भू राजस्व एवं भू सुधार विभाग, झारखंड सरकार; श्री सत्येंद्र सिंह, सचिव, वित्त एवं योजना विभाग, झारखंड सरकार; डॉ एन. एम. कुलकर्णी, सचिव, कृषि विभाग, झारखंड सरकार; श्री एम.के.वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक , भारतीय रिज़र्व बैंक ,पटना; महाप्रबंधक, श्री एस. पलानिवेल, वित्तीय समावेशन विभाग, बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय; श्री एस.मण्डल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; श्री पैट्रिक बारला, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री एस. के॰ मुखर्जी, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड; झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी; झारखण्ड राज्य स्थित बैंकों के नियंत्रक प्रमुख; झारखण्ड राज्य के **24** जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक एवं विभिन्न बैंकों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे ।

व्यवसाय सत्र के दौरान कुछ समय के लिए झारखंड सरकार की मुख्य सचिव श्रीमति राजबाला वर्मा जी भी सभा की कार्यवाही में सम्मिलित हुईं | उन्होने अपने मुख्य संभाषण में राज्य के विकास के लिए बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की , परंतु साथ ही साथ उन्होने बैंको के कार्यकलाप में और अधिक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया | उन्होने कहा कि बैंको की उपलब्धियों की समीक्षा तीन परिप्रेक्ष्य - मजबूरी, कठिनाई और इच्छाशक्ति के अनुसार वर्गीकृत कर की जानी चाहिए। उन्होने राज्य सरकार और बैंको को एक दूसरे का सहयोगी बताया और कहा कि इन्हे आपस में मिलकर राज्य के विकास का कार्य करना चाहिए।

उन्होने CD Ratio के कम होने, कृषि क्षेत्र मे संतोषजनक प्रगति नहीं होने, बैंको कि शाखाएँ खोलने में धीमी गति एवं SHG sector में समुचित ऋण नहीं दिये जाने पर अपनी अप्रसन्नता जताई। उन्होने सरकार के द्वारा संचालित सभी

कल्याणकारी कार्यक्रमों को त्वरित गति से पूर्ण करने के लिए बैंको द्वारा एक निश्चित रोड मैप एवं एक्शन प्लान बनाने की सलाह दी और साथ ही साथ बैंक वार उपलब्धियों की समीक्षा के लिए सितंबर माह में सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखों की बैठक बुलाने की जानकारी दी |

व्यवसाय सत्र (Business Session)

एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एस॰के॰मुखर्जी ने सभा की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की।

अध्यक्ष के आदेशानुसार श्री अंजन मोईत्रा, मुख्य प्रबंधक, एसएलबीसी, झारखंड ने कार्यवाही शुरू की एवं बैठक को सूचित किया कि दिनांक 11.05.2016 को आयोजित 55वीं एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं| चूँकि इस संबंध में किसी भी कार्यालय द्वारा संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है, अतः सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने का आग्रह किया गया । तदुपरान्त सर्वसम्मत्ति से सभा द्वारा उक्त बैठक के कार्यवृत्त के पारित होने की पुष्टि कर दी गयी।

तत्पश्चात श्री मोईत्रा ने एसएलबीसी की 56वीं बैठक में चर्चा किए जाने वाले बिन्दुओं को क्रमवार प्रस्तुत किया।

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
<u>कार्य सूची संख्या -2</u> <u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन**(Updation)** और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</u> राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि, 1. किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की R.B.I के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके | **2.** राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, **MSE,**शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।	1.राज्य के भू राजस्व एवं भू सुधार के सचिव श्री के॰ के॰ सोन ने जानकारी देते हुए कहा कि भूमि अभिलेखों के डिजिटिकरण का कार्य कुल 263 अंचलों मे से 134 अंचलों मे पूर्ण हो चुका है एवं बाकी अंचलों मे कार्य प्रगति पर है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि दिसंबर 2016 के बजाय नवंबर 2016 में ही पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है | श्री सोन ने यह भी बतलाया कि भूमि अभिलेखों के डिजिटिकरण के कार्य के साथ-साथ Mutaion एवं registration के डिजिटिकरण का कार्य भी प्रगति पर है | इसके साथ ही आधार enabled registration की व्यवस्था भी की जा रही है जिसे केबिनेट द्वारा पारित कर दिया गया है | इससे भू सम्पत्तियों के खरीद बिक्री में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा | कई जिलों में NEC जारी नहीं किए जाने की बात पर श्री सोन ने कहा कि ऐसे विशेष मुद्दों को उनके संज्ञान में लाया जाय | श्री एन एन सिन्हा ने सुझाव दिया कि बैंको को इन महत्वपूर्ण बातों को संबन्धित विभागों के सचिवों कि जानकारी में तुरंत लाना चाहिए ताकि इस पर त्वरित कार्यवाही कि जा सके | 2.सी॰एन॰टी॰ एवं एस॰पी॰टी॰ अधिनियम मे संशोधन: जमीन मोर्टगेज रख बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु इस अधिनियम मे आवश्यक सुधार हेतु संशोधन प्रस्ताव विचारार्थ माननीय मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता मे गठित कमिटी के समक्ष भेजा गया है। अब तक कमिटी से कोई भी मंतव्य/सुझाव प्राप्त नहीं	राज्य सरकार

	हुआ है। विभागीय पत्रांक 3263 दिनांक 30.05.2016 द्वारा कल्याण विभाग को उक्त संबंध मे त्वरित कार्यवाई करने हेतु सूचित किया गया है। आर बी आई के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम॰ के॰ वर्मा ने इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करने की मांग की क्योंकि इसके कारण राज्य में कृषि के क्षेत्र में ऋण वितरण की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पर रहा है |	
पीडीआर अधिनियम में संशोधन– राज्य सरकार के द्वारा ,एमपी और यूपी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने का प्रस्ताव था , जिसके अनुसार बैंकों के द्वारा upfront कोर्ट फीस का भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फीस का भुगतान करना प्रस्तावित था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का संशोधित प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव था।	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस का अपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है, जो प्रस्ताव से भिन्न है | भू राजस्व एवं भू सुधार के सचिव श्री के॰ के॰ सोन ने बतलाया कि उनके स्तर से सभी ज़िला के उपायुक्तों को उपर्युक्त गज़ट अधिसूचना के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बैंको (आंचलिक प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंडिया, रांची अंचल, श्री शंकर प्रसाद) द्वारा यह बताने पर कि कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई नही हो रही है, सचिव, भू राजस्व ने इसके अनुपालन को सुनिश्चित करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होने यह आग्रह भी किया कि ऐसी बातों को सब कमिटी की बैठकों के दौरान चर्चा में लाये जाने से इन पर जल्दी कार्यवाही की जा सकती है | आर बी आई के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम॰ के॰ वर्मा ने विभिन्न जिलों में रिकवरी वादों के लंबित स्थिति के मद्देनजर पी डी आर एक्ट में अविलंब संशोधन की मांग की |	
"बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम" जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन	RBI की तकनीकी ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर Advocate General से परामर्श लिया गया, जिसमे उन्होंने एक Expert Panel	राज्य सरकार

46वें बैठक में तय समय सीमा – 01 माह । **(बिहार में लागू अधिनियम की प्रति झारखण्ड सरकार को समिति द्वारा प्रदान किया गया है।)**	जिनकी इस विषय पर expertise प्राप्त हो, के गठन का परामर्श दिया है| श्री के॰ के॰ सोन ने बतलाया की अवर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में माननीय मुख्य मंत्री के निदेश पर वित्त व्यय सचिव श्री सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमिटी का गठन कर लिया गया है एवं इस कमिटी ने बैठक कर अपनी अनुसंशा पूरी कर दी हैं | इस अनुसंशा को अन्य संबन्धित विभागों के द्वारा सहमति मिलने के पश्चात केबिनेट में भेजा जाएगा और सरकार को उम्मीद है कि यह व्यवस्था अगले 2-3 महीने में लागू हो जाएगी | इस विषय पर आर बी आई के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम॰ के॰ वर्मा ने कहा कि राज्य में कई एन बी एफ सी विभिन्न व्यावसायिक बैंको से ऋण ले कर गरीबी उन्मूलन का कार्य कर रहे हैं जिससे उनका cost of fund काफी ज्यादा हो जाता है और मनी लेंडर एक्ट के तहत वो secured loan पर 12% से ज्यादा एवं unsecured loan पर 15% से ज्यादा interest charge नहीं कर सकते हैं जिसके कारण उन्हे उनके अच्छे कार्य के बावजूद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है | अतः इस संबंध में सरकार को सोचना होगा क्योंकि ये संस्थाएं भी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्ति में मददगार हैं |	
राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना|	लोकमांग वसूली अधिनियम 1914 मे प्रस्तावित संशोधन विधेयक विधान सभा मे विधिवत पारित होने के उपरांत माननीय राज्यपाल, झारखंड के सचिवालय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति के सहमति हेतु भेजा गया है। राज्य के भू राजस्व एवं भू सुधार के सचिव श्री के॰ के॰ सोन ने कहा इस विषय पर भारत सरकार के साथ कई पत्राचार कर समस्त जानकारी दे दी गयी है एवं अगले 1-2 महीने में इसपर सहमति प्राप्त हो जाने की उम्मीद है |	1. राज्य सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए प्रेषित। 2. राष्ट्रपति कार्यालय को झारखण्ड सरकार द्वारा अनुस्मारक प्रेषित।
राज्य में बैंक के खजाने का रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था 46वें बैठक में तय की गई समय सीमा – 02 माह	SLBC, RBI एवं गृह विभाग के संवंधित विभाग के साथ समन्वय कर बैठक कर लिया गया है | SLBC की उप-समिति की दिनांक 29.04.16 को हुई बैठक के निर्णय के आलोक में सभी जिला पुलिस अधीक्षक को झारखण्ड पुलिस के द्वारा CURRENCY CHEST की रक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देश दिया गया है |इस विषय पर आर॰बी॰आई॰ के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि इस निर्णय के बावजूद 90% Home Guards ही खजाने की सुरक्षा मे लगे हैं। यह स्थिति कदापि	राज्य सरकार

	संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है | अतः इस दिशा में राज्य सरकार को अविलंब कार्यवाही करने की आवश्यकता है |	
आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन	सभी जिलों में 24 आरसेटी एवं 1 RUDSETI के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है |	राज्य सरकार
नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।	योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। समिति ने यह रिपोर्ट दिया है कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की अनुमति नही देता है। ड्राफ्ट उपविधियां तैयार होने की प्रक्रिया में है। इस विषय पर आर॰बी॰आई॰ के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में housing map के अनुमोदन के लिए कोई प्रावधान नहीं है अतः साल 2022 तक सभी के लिए गृह उपलब्ध कराने के कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं की जा सकती | इस दिशा में भी सरकार द्वारा उचित प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है |	इस पर जानकारी देते हुए श्री एन॰ एन॰ सिन्हा, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बतलाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी से भी अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।
रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।	झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित की गयी है | झारखंड सरकार के द्वारा, उपायुक्त, रांची को, SLBC व BOI को संयुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का आदेश पारित किया गया है पर इससे संबन्धित अद्यतन सूचना अप्राप्त है | इस विषय मे **RBI** के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि जो जमीन **RBI** एवं **NABARD** को आवंटित किया गया है, इसमे अतिक्रमण का मामला है। श्री के॰ के॰ सोन एवं श्री एन॰ एन॰ सिन्हा ने कहा कि सभी संस्थाओं को, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित किया गया है, वे भवन निर्माण कि योजना की सभी प्रक्रिया जारी रखें और अतिक्रमण के सभी मामलों मे राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। श्री मोइत्रा ने श्री के॰ के॰ सोन से **SLBC** एवं **BOI** के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन का आग्रह किया जिसपर श्री सोन ने कार्यालय भवन के लिए निश्चित जरूरतों के आधार पर योजना बना कर उन्हें मुहैया करने की बात कही। इसपर श्री मोईत्रा ने पूर्व मे प्रेषित योजना को पुनः भेजने का आश्वासन दिया।	राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया। इसके लिए सरकार का पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया गया। राज्य सरकार से अन्य बैंकों को भी यथाशीघ्र भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इस पर उपस्थित विभागाधिकारी ने कहा कि इसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए इस समस्या का निदान कर लिया जाएगा।

गुजरात के डांग जिले के तर्ज पर ग्रीन किसान क्रेडिट कार्ड योजना	ग्रीन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा गुजरात के डांग जिले मे आदिवासियों के पेड़ पर सरल माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध कराई जा रही है।चूंकि झारखंड मे भी आदिवासियों एवं वन सम्पदा की बहुलता है, अतः इस योजना को झारखंड मे भी सफलता पूर्वक चलाया जा सकता है। इस विषय पर RBI के AGM श्री अमित सिन्हा ने कहा कि इस योजना के लागु हो जाने पर कुछ हद तक CNT से होने वाले मियादी कृषि ऋण की कठिनाइयाँ की भरपाई भी हो पायेगी.	इस पर योजना बनाने के लिए 55 वीं SLBC बैठक मे निर्णय लिया गया था कि वन निगम, राजस्व विभाग, कल्याण विभाग, SLBC, एवं RBI द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का अब तक गठन नहीं हो पाया है।
रु.1.00 लाख से अधिक के कृषि ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी लिए जाने का प्रस्ताव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि उप समिति की दिनांक 03.05.2016 को आयोजित बैठक में झारखण्ड सरकार के द्वारा रु.1.00 लाख से अधिक कृषि ऋण पर आवश्यक रूप से लिए जाने वाले भूमि बंधक / Colleteral Security के बदले उन ऋण खातों में राज्य सरकार की गारंटी लिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है।	इस विषय पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से अध्यतन जानकारी अप्राप्त है।

<u>बैंक से संबधित मामले **Issues Pertaining To Banks**</u>

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
आर सेटी (RSETI) भवन का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नही किया गया है।	निम्न जिलों में RSETI भवन निर्माण का कार्य आवंटित बैंकों द्वारा आरम्भ नहीं किया गया है: क) SBI: पाकुर में भूमि का लीज नहीं हुआ है, लातेहार, पलामू एवं साहिबगंज में भवन निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। रांची जिले में आवंटित भूमि पर हाल ही में possession लिया गया है। ख) PNB: रामगढ में कोई प्रगति नहीं है, आवंटित भूमि का लीज नहीं हुआ है।	SBI: इस पर RSETI के राज्य निदेशक ने बतलाया साहिबगंज, जामतारा एवं लातेहार के लिए टेंडर निकाल दिया गया है तथा गढ़वा का बिल्डिंग प्लान final approval के लिए आर्किटेक्ट के पास भेज दिया गया है। रांची के जमीन का पोजेसन (possession) एक दिन पूर्व

	ग) Canara Bank: सिल्ली RUDSETI के भवन निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । इन सब के लिए कहा गया कि पिछले कई सभाओं में इसकी चर्चा हो चुकी है परन्तु इसमें गति काफी धीमी नजर आ रही है | इसके लिए एक निश्चित समय का निर्धारण कर निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने का सुझाव दिया गया | श्री एन एन सिन्हा ने सभी संबन्धित बैंकों से आग्रह किया कि चूंकि आरसेटी भवन छोटे होते हैं अतः इन्हें एक से डेढ़ वर्ष मे पूरा किया जाय और इसे पंचवर्षीय योजना न बना दिया जाए।	ही ले लिया गया है। श्री अजित सूद ने, एसबीआई द्वारा राँची में जमीन पर पोजेसन नहीं लिया गया है, ऐसा कहने पर अपनी आपत्ति दर्ज की, जिसपर SLBC द्वारा agenda papers में अध्यतन स्थिति के आधार पर सुधार कर लिए जाने की बात कही गयी। PNB: सम्बंधित अधिकारी ने बतलाया कि सराईकेला में roof casting हो गया है और Dec 2016 तक भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और रामगढ़ के लिए BSNL को कार्य आदेश दे दिया गया है | CANARA BANK: सिल्ली में RUDSETI के निर्माण कार्य के लिए re-tendering करना पड़ा है। वहाँ पेड़ों के होने की बात भी चर्चा में आई जिसपर श्री एन॰ एन॰ सिन्हा जी ने बताया कि इन मुद्दों को यथाशीघ्र सुलझा लिया जाएगा।
RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES को बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना |	इस वितीय वर्ष में केवल 82 प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को बैंकों से ऋण प्राप्त हुआ है | RSETI जमशेदपुर, लोहरदगा, चाइबासा, सराइकेला, गढ़वा एवं RUDSETI सिल्ली को छोड़ बाकी RSETI का प्रगति शुन्य है | इस पर RSETI के राज्य निदेशक ने कहा कि निश्चित तौर पर जितनो को प्रशिक्षण दिया गया है, बहुत कम को बैंकों द्वारा लिंक कराया जा सका है और इसमें काफी तेजी लाने की आवश्यकता है | इसके लिए उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि इसकी देख रेख के लिए RSETI एवं उन बैंकों के प्रमुख जिनके अंतर्गत सम्बंधित RSETI आता है, एक छोटी कमिटी का गठन कर प्रशिक्षण प्राप्त अभियार्थियों का credit linkage कराया जाय | इस दिशा में कार्यवाही हो रही है और अगले तिमाही तक सकारात्मक परिणाम दिखने की उम्मीद है। आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक श्री अमित सिन्हा जी ने कहा की DLAC की बैठकों में इस विषय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और साथ ही सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखों को जिनके यहाँ RSETI हैं, इस दिशा में समुचित प्रयास करना चाहिए। आगे चर्चा में कहा गया कि बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वियन में व्यस्त है, इस स्थिति में मुद्रा ऋण योजना के तहत इनको	

	ऋण दिलाया जाय जिससे प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को ऋण भी मिल जाये एवं बैंकों का मुद्रा ऋण का टारगेट भी प्राप्त हो जाये | श्री एन॰ एन॰ सिन्हा ने बैंक वार pending की स्थिति को SLBC के agenda papers में सम्मिलित करने की सलाह दी | BOI राँचीके आंचलिक प्रबन्धक श्री शंकर प्रसाद जी के सुझाव पर की RSETI में PMEGP के अभ्यर्थियों का भी ट्रेनिंग किया जाना चाहिए, RSETI के राज्य निदेशक ने कहा की झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। श्री अमित सिन्हा एवं श्री मोईत्रा ने बताया कि माननीय अदालत के आदेश में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और PMEGP के उम्मीदवारों को भी RSETI में ट्रेनिंग दिया जा सकता है। RBI के महाप्रबंधक श्री पैट्रिक बारला ने बताया की RBI के नियमों के अनुसार RSETI से ट्रेनिंग प्राप्त सभी अभ्यर्थियों की सूची आस पास के सभी बैंको को दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हे ऋण सुविधा उपलब्ध हो। श्री मोईत्रा ने कहा कि पहले ही SLRC की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि RSETI प्रशिक्षार्थियों से प्राप्त ऋण आवेदन को केवल संबन्धित बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों के कार्यालय से ही निरस्त किया जाना चाहिए और किसी भी शाखा प्रबन्धक को इसकी अनुमति नहीं है। श्री एन॰ एन॰ सिन्हा ने SLBC को सुझाव दिया कि अगली बार से SLBC के agenda papers में इस बात कि जानकारी भी होनी चाहिए कि किस बैंक के पास कितने ऐसे आवेदन हैं और वे कब से लंबित पड़े हैं ताकि इस पर अर्थपूर्ण बहस की जा सके। श्री एम॰ के॰ वर्मा ने इसके लिए बैंको के उदासीन रवैये के साथ साथ एक ही तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को जिम्मेदार बताया जिसपर श्री एन एन सिन्हा ने कुछ cases का अध्ययन कर एसएलबीसी की सब कमिटी में इसपर चर्चा करने का सुझाव दिया ताकि ऐसी किसी भी कठिनाइयों का निदान ढूंढा जा सके।	

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
कार्य सूची संख्या-3 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक	राज्य के बैंकों के जमास्तर में उत्तरोतर वृद्धि दर्ज की जा रही है तथा वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के दर पर इस वर्ष के प्राप्त आंकड़ो के अनुसार 13.94% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऋण संवितरण के स्तर में भी वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के दर पर इस वर्ष 9.72% की वृद्धि दर्ज हुई है।	समस्त बैंक

जमा, क्रेडिट एवं ऋण-जमा अनुपात	राज्य का ऋण-जमा अनुपात 60.61% से घट कर पिछले तीन महीनो में 59.46% हो गया है इसका मूल कारण पिछले तिमाही में जमा राशी में रु. 9918.28 करोड़ की वृद्धि है जबकि ऋण-राशि में सिर्फ रु. 1974.49 करोड़ की वृद्धि हुई है। NABARD के CGM श्री एस॰ मण्डल ने पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार उन बैंको द्वारा monitorable एक्शन प्लान बनाने की बात की जिनका CD Ratio 40% से कम है। आगे श्री मोइत्रा ने बतलाया कि भारत सरकार के वित विभाग ने सूचित किया है कि बैंको द्वारा SLBC को दिए जमा एवं ऋण तथा उनके प्रधान कार्यालयों द्वारा दिए गए आंकड़ो में काफी अंतर है जिसके चलते उनके जमा अनुपात में भी काफी अंतर है | अतः उपस्थित बैंकों के उच्च अधिकारियों से कहा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जो भी डाटा SLBC को मुहैया करायी जाती है, कम से कम उसे बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा जाँच कर ही प्रेषित किया जाय | RBI के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम॰ के॰ वर्मा ने पिछले वर्षों में CD Ratio में हुई धीमी प्रगति पर चिंता जाहिर की और सभी बैंको से इस दिशा मे और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।	
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 30 जून, 2016 को रु. 5535.05 करोड़(16.42%) की वृद्धि दर्ज की गई है | वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का कुल अग्रिम 53.98% है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40% से काफी अधिक है | इस गति को आगे भी बनाये रखने की आवश्यकता है | RBI के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम॰ के॰ वर्मा ने इसपर संतोष जताया परंतु साथ ही उन्होने पिछले वर्ष priority sector advances में शामिल किए गए medium sector, social infrastructure sector और renewable sources of energy sector जैसे क्षेत्रों में बैंकवार हुई प्रगति का ब्योरा दिये जाने का सुझाव दिया जिससे सभी बैंको की उपलब्धियां सही मायने में परिभाषित की जा सके।	सभी बैंक/ राज्य सरकार/ एसएलबीसी
कृषि ऋण	30 जून, 2016 को कृषि अग्रिम रू. 12773.12 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 17.57 प्रतिशत है। पिछले एक साल में कृषि ऋण में कुल रू. 992.78 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि कृषि ऋण की स्वीकृति मे और गति प्रदान किया जाय। इस विषय पर आगे श्री मोइत्रा ने कहा कि पूर्व के बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि बैंक एवं सरकारी महकमा संयुक्त रूप से KCC ऋण के आवेदन का सृजन करेंगे परन्तु अधिकतर मामलों में बैंकों द्वारा ही आवेदन का सृजन किया जा रहा है | इसमें गति प्रदान करने के लिए सरकारी महकमे को भी संयुक्त रूप से और अधिक कार्य करने की आवश्यकता	सभी बैंक

	है | डॉ एन॰ एम॰ कुलकर्णी , सचिव, कृषि विभाग ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि कृषि क्षेत्र में कुछ ही बैंको द्वारा ऋण दिया जा रहा है और कई बैंको की उपलब्धि बिलकुल नगण्य है। श्री शंकर प्रसाद द्वारा कृषि मियादी ऋण के लिए भी KCC ऋण की तरह interest subvention दिये जाने की सलाह पर CGM , नाबार्ड ने सोलर पंपों पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे subsidy की बात बताई और कहा के इसके मद्देनजर इन क्षेत्रों में ऋण वितरण की गति को बढ़ाया जा सकता है।	
कमजोर वर्ग एवं महिलाओं को प्रदत्त ऋण	राज्य मे कमजोर वर्ग को कुल ऋण का 20.31% ऋण दिया गया है जो कि राष्ट्रीय बेंचमार्क जो 10% है, से काफी बेहतर है।महिलाओं को जो ऋण दिया गया है उसमे 33% की वृद्धि हुई है, इस गति को आगे भी बनाए रखने की आवश्यकता है।	सभी बैंक
अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत ऋण	अल्प संख्यक वर्ग को प्रदत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र का 13.96 % है जो कि राष्ट्रीय मानक 15% से थोड़ा कम है | सभी बैंकों से कम से कम राष्ट्रीय मानक तक उपलब्धि प्राप्त कर लेने का अनुरोध किया गया |	सभी बैंक
वार्षिक ऋण योजना के आधार पर वर्ष 2016-17 की उपलब्धि की समीक्षा	इस विषय पर सेक्टर वार उपलब्धि पर चर्चा करते हुए एसएलबीसी ने बताया कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की उपलब्धि कम रही है और ये काफी चिंता का विषय है | पिछले वर्ष की तुलना में कृषि ऋण रु 134 करोड़, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र रु 170.49 करोड़ एवं गैर प्राथमिकता क्षेत्र रु 2290 करोड़ से पीछे है | MSE में राज्य की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में मुद्रा लोन में अधिक ऋण संवितरण के कारण रु 290 करोड़ आगे है | वार्षिक ऋण योजना की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र में, रु. 909.50 करोड़ का ऋण संवितरण किया गया है जो कि पिछले वर्ष के पहले तिमाही में संवितरित किए गए ऋण से रु 134.04 करोड़ कम है | इस पर सभी बैंक नियंत्रकों से आग्रह किया गया कि वे संयुक्त रूप से इसका निदान ढूंढे ताकि अगले तिमाही में इसकी भरपाई हो सके एवं कृषि ऋण संवितरण में अपेक्षित वृद्धि हो। कृषि ऋण में गुणात्मक वृद्धि हेतु कई प्रतिभागियों द्वारा यह कहा गया कि केवल KCC से यह संभव नहीं है और सभी बैंको को KCC के साथ साथ मियादी ऋण पर ज़ोर देना होगा। इसके साथ ही SHG मॉडल के आधार पर ऋण देने की बात भी की गयी। एसबीआई के श्री अजित सूद ने कहा कि बिहार में चल रहे आजीविका model के तर्ज पर झारखंड में भी KCC ऋण में बढ़ोतरी लायी जा सकती है।	सभी बैंक

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
5.1. कृषि क्षेत्र में केसीसी -रुपे कार्ड जारी करना	राज्य में सभी बैंकों को मिला कर कुल कृषि साख सकल ऋण का 17.57% है |यह राष्ट्रीय मानक 18% से थोडा कम है | इस पर बैंकों एवं नाबार्ड से कहा गया की आने वाले तिमाहीयाँ में कारगर कदम उठाते हुए पुनः राज्य में सकल कृषि ऋण बेंच मार्क 18% से ज्यादा हासिल करने के लिए सम्मिलित एवं जोरदार प्रयास किया जाय | RUPAY CARD : सभी सामान्य K.C.C..खातों को दिनांक 31.03.2013 तक Smart K.C.C. खातों में परिवर्तित कर उन खातों मे आबश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था, ताकि यह एटीएम एवं पीओएस में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त K.C.C. धारकों को एक या अन्य कारणों से रुपे कार्ड जारी नही किया गया है। अब तक कुल 625619 रुपे कार्ड ही जारी हो पायें हैं जो कुल KCC खातों का 50% के लगभग है | इस पर चिंता जाहिर करते हुए SLBC के महाप्रबंधक श्री एस॰ के॰ मुख़र्जी ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने शाखाओं को निश्चित निर्देश दें ताकि बाकी के Rupay Card जारी करने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जा सके |	समस्त बैंक/ नाबार्ड
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” का लोकार्पण किया गया है | इस योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी किसानों को विभिन्न कारणों से होने वाले फसल-क्षति के समय एक व्यापक बीमा-कभर प्रदान किया जाता है | सभी बैंकों से आग्रह किया गया कि चूँकि इस योजना के नियमानुसार सभी ऋणी किसानो का अनिवार्य रूप से फसल बीमा होना है एवं इस योजना का समय सीमा निर्धारित है, अतः समय पर बीमा का रकम खातों से नामे करना, आवेदन लेना, इन्सुरेन्स कम्पनी के पोर्टल में डाटा फीड करना एवं प्रीमियम की रकम जमा करना शत प्रतिशत सुनिश्चित करें |	समस्त बैंक

5.2. (क) **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का वित्त पोषण (प्राथिमकता प्राप्त क्षेत्र)**	झारखंड में कुल एम एस एम ई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंचमार्क के विरूद्ध जून, 2016 में 54.23% रही है। इस क्षेत्र मे ऋण वितरण की अपार संभावनाएं हैं चूंकि यहाँ खनिज एवं कोयला की भारी संपदा है। जरूरत केवल anciliary industries को स्थापित किए जाने की है। झारखण्ड राज्य मे, रु 1 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 326000 MSE ऋण खातें हैं, परंतु इनमे से केवल 88000 ऋण खातों में, अर्थात सिर्फ 27 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है | अतः सभी बैंकों को चाहिए की इस योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज प्राप्त किया जाए। VGB एवं JGB के अलावे अन्य बैंको की स्थिति की जानकारी श्री एन एन सिन्हा द्वारा मांगी गयी, जिसे एसएलबीसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने की बात कही गयी। श्री एम के वर्मा ने कहा कि MSME sector में प्रधानमंत्री टास्क फोर्स के अनुसार वंचित अन्य बिन्दुओं यथा -MSME sector में amount wise 20% वार्षिक वृद्धि, 8% unit wise वार्षिक वृद्धि पर भी बैंकवार चर्चा की जानी चाहिए।	समस्त बैंक
5.2.(**ख**) **"प्रधान मंत्री मुद्रा योजना"**	दिनांक 8 अप्रैल**,** 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुरुवात की गई | यह योजना मुख्यतः गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए शुरू की गई है| झारखण्ड राज्य में 01.04.2016 से 30.06.2016 तक 129146 लोगों को रु 266 करोड़ रूपये का ऋण इस योजना के तहत दिया गया | श्री मोईत्रा ने राज्य सरकार के अधिकारियों से मुद्रा योजना के तहत दिये जाने वाले ऋण के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित गारंटी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करने का आग्रह किया।	समस्त बैंक
5.3 <u>शिक्षा-ऋण</u>	प्राप्त आंकड़ो के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष मामूलीवृद्धि हुई है. प्रथम तिमाही में 3560 छात्रों को शिक्षा-ऋण दिया गया है | ये इस जून, 2016 तिमाही के लक्ष्य 4300 से कम है | अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 6000 छात्रों को शिक्षा ऋण देने का वार्षिक लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध बैंको द्वारा इस तिमाही में 1864 छात्रों को शिक्षा-ऋण मुहैया कराया जा चुका है | सभी बैंकों से शिक्षा-ऋण प्रवाह में गति लाने की बात कही गई |	समस्त बैंक
5.4 <u>गृह-ऋण</u>	गृह ऋण संवितरण पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही की तुलना में रु.2170.78 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष के तिमाही में रु.5392**.**54 करोड़ हो गया है जो कि 3221.76 करोड़ का वृद्धि दर्शाता है। इस क्षेत्र में और अधिक ऋण संवितरण करने पर बल दिया गया।	समस्त बैंक/ राज्य सरकार

	प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा गया कि 10 अगस्त 2016 तक इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति या वापसी बैंको द्वारा कर देनी है। चर्चा में यह बात भी आयी कि अभी तक 1428 आवेदन बैंकों के पास भेजी जा चुकी है लेकिन कुछ ही आवेदनों की स्वीकृति हुई है। अग्रणी जिला प्रबंधकों से बचे आवेदनों को बैंकों द्वारा जल्द निपटारा करवाने की बात कही गई।	
5.5 <u>ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी</u> <u>हेतु ऋण प्रवाह</u> **5.5.(1) अल्पसंख्यक के लिए ऋण**	 अल्पसंख्यक समुदाय को वितरित ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 3.70 % की वृद्धि दर्ज की गयी है। इस पर सभी बैंकों को और विशेष ध्यान देने की जरूरत है।	 समस्त बैंक
5.5.(2) महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह	30 जून 2016 के आंकड़ो के अनुसार महिलाओं को संवितरित कुल ऋण का 22.38% है**,** इस गति को आगे भी बरकरार रखा जाय।	समस्त बैंक
5.5.(3) डी आर आई ऋण के लिए ऋण प्रवाह	डी आर आई ऋण का संवितरण निर्धारित बजट का मात्र **0.05%** हुआ है जो कि अपेक्षित न्यूनतमबजट 1% से काफी कम है। एसएलबीसी महाप्रबंधक ने बैंकों से चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम **0.50%** ऋण इस क्षेत्र में करने को कहा। सभी बैंक-प्रमुखों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।	समस्त बैंक
5.5.(4) अनु.जा./अनु.जन.जाति के लिए ऋण प्रवाह	इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह कुल ऋण का 18.20% रहा है तथा इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1.82 % की वृद्धि दर्ज की गयी है।	समस्त बैंक
5.6 <u>एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना</u>	नाबार्ड द्वारा संचालित WSHG के नवगठित ग्रुप की संख्या 49000, बचत लिंक्ड की संख्या 32949, क्रेडिट लिंक्ड की संख्या 13854 एवं क्रेडिट लिंक्ड रकम 608.21 करोड़ रूपये है। इस योजना में हुए प्रगति की चर्चा करते हुए बतलाया गया कि JSLPS द्वारा भी इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। उनके कार्य क्षेत्र के सीमित होने के बावजूद पिछले कुछ माह में उन्होंने 47 करोड़ रूपये का WSHG क्रेडिट लिंकेज बैंकों से कराया है। इनके कार्य शैली से शाखाएँ संतुष्ट है, क्योंकि इनके द्वारा लिंक किये ग्रुप के ऋण का भुगतान काफी अच्छा है। आने वाले माह में ये फिर एक कैंप करने जा रहे है, जिसमे आशा है कि और भी अच्छा कार्य हो पायेगा एवं नए ग्रुप के लिंकेज में एक अच्छा इजाफा होगा। चर्चा के दौरान RBI के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि कुछ बैंकों द्वारा लिंकेज का कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने उपस्थित बैंको के उच्च अधिकारियों से कहा कि अपने शाखाओं को ग्रुप के लिंकेज करने का निर्देश दें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना की जानकारी के लिए समय-समय पर वर्कशॉप कराये जाते है, जिसमे सभी बैंकों को अपने अधिकारियों की भागीदारिता सुनिश्चित करनी चाहिए।	समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक गण

	प्रधान सचिव , ग्रामीण विभाग श्री एन॰ एन॰ सिन्हा ने WSHG में क्रेडिट लिंकेज की स्थिति को असंतोषजनक बताया और सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखो से शाखा प्रबन्धकों को sensitize करने की अपील की और शाखाओं को **resource centre** के रूप में विकसित करने की सलाह दी ताकि इस कार्य में और तेजी लायी जा सके। उन्होने सभी बैंको से आग्रह किया कि वो अपने यहाँ एक dedicated cell सिर्फ इस काम के लिए बनाएँ। उन्होने एसएलबीसी के महाप्रबंधक के द्वारा सब कमिटी मीटिंग में सुझाए गए इस बात पर की प्रत्येक जिला में कम से कम 2000 **WSHG** को लिंक किया जाए, पर अमल करने की बात कही। साथ ही उन्होने सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से अपने अधिकारियों को WSHG के लिए होने वाले orientation workshop में भाग लेने के लिए अनुमति देने की भी गुजारिश की। उन्होने कहा कि झारखंड में **SHG** के लिए काफी कम बजट दिया गया है।	
5.7 एन आर एल एम (NRLM)	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।	समस्त बैंक

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
कार्य सूची संख्या– 6 प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)	फ़रवरी, 2016 के दौरान किये सर्वेक्षण में पाया गया कि 898 SSA में कोई भी बैंक मित्र कार्यरत नहीं है जिस पर 55 वीं SLBC बैठक में चिंता के साथ चर्चा की गई थी | इस मुद्दे पर SLBC द्वारा सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों का एक बैठक भी बुलाया गया था और सभी बैंकों को जल्द से जल्द रिक्त SSA में बैंक मित्र पदस्थापित करने का आग्रह किया गया था | इसके फलस्वरूप वर्तमान में सिर्फ 102 SSA में ही बैंक मित्र पदस्थापित करने को बाकी रह गया है | इसे भी पूर्ण करने का आग्रह किया गया | साथ ही बतलाया गया कि कुछ बैंक मित्रों के जिनके पास hand held device उपलब्ध नहीं है, उन्हें तुरंत यह उपलब्ध कराया जाय | चर्चा के दौरान कहा गया कि इस कार्य के लिए WSHG मेम्बर को भी बैंक मित्र के रूप में लगाया जा सकता है | इसके लिए इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है | श्री अंजन मोइत्रा ने कहा कि बैंक मित्रों के कार्य निरिक्षण रिपोर्ट बैंकों द्वारा नहीं दिया जा रहा है | प्रत्येक माह में कम से कम एक बार इनके कार्यों का निरिक्षण सभी बैंकों के शाखा द्वारा किया जाना चाहिए | नाबार्ड के CGM श्री मण्डल ने बताया के वैसे सभी एरिया जो किसी भी बैंक के SSA के अंतर्गत आते हैं और वहाँ connectivity का problem है तो एसएलबीसी के recommendation पर NABARD द्वारा अधिकतम रु 6.25 लाख तक कि राशि VSAT के लिए दी जा सकती है। साथ ही WSHG के member को **RRBs** द्वारा बैंक मित्र के रूप में बहाल किए जाने पर NABARD द्वारा उन्हे remuneration भी दिया जाएगा। श्री मोईत्रा ने सभी बैंको द्वारा उनके यहाँ के **BC centres** के लिए **inspection** रिपोर्ट देने का आग्रह किया। PMJJBY, PMSBY, APY योजनाओं के उपलब्धि पर चर्चा की गई. वित्तीय समावेशन एवं **Branch Expansion**: चर्चा में कहा गया कि 5000 से अधिक जनसँख्या वाले ग्रामों में एक शाखा खोला जाना है जिसके तहत झारखण्ड के 137 ग्रामो का चयन किया गया है | रोड मैप के अनुसार 31.03.2016 तक 31 शाखाओं को खोला जाना निश्चित किया गया था परन्तु विभिन्न कारणों से शाखा समय पर नहीं खुल पाया | इस तिथि को पुनः दो बार बढाया गया परन्तु सिर्फ 17 शाखाएं ही खुल पाई है | अभी भी 14 शाखाओं का खुलना बाकी है | विभिन्न बैंकों ने शाखाओं के खोले जाने में आने वाले अपनी समस्याओं को बतलाया | इन	समस्त बैंक

	समस्याओं के निदान की बाते की गई | सभी चयनित बैंकों को SLBC के महाप्रबंधक श्री एस० के० मुख़र्जी ने पुनः कहा कि चूँकि 31.03.2017 से पहले सभी 137 शाखाएं खोलनी है, अतः उन्हे अपने आवंटित शाखाओं को खोलने की प्रक्रिया में तेजी लनी होगी | बैंक खातो में आधार सीडिंग की महत्ता पर चर्चा हुई **|** विभिन्न विभागों से काफी संख्याओं में आधार सीडिंग के लिए बैंकों में डाटा भेजा जाना**,** शाखाओं द्वारा इनके सीडिंग एवं सीडिंग के दौरान आने वाले विभिन्न कठिनाइयों एवं इसके निदान के उपायों के साथ ही bulk seeding पर भी विस्तृत चर्चा की गई | बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी योजनाओं के लाभूकों से संबन्धित आधार संख्या जो झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा भेजे जा रहे हैं**,** उन्हे प्राथमिकता के आधार पर बैंकों द्वारा **bulk seeding** करायी जाएगी।	
<u>कार्य सूची संख्या - 7</u> <u>एन पी ए एवं वसूली</u>	झारखंड राज्य में एनपीए की स्थिति काफी चिंताजनक है तथा वर्ष-दर-वर्ष इसमें तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है । इस प्रथम तिमाही की समाप्ती पर NPA सकल अग्रिम का 6.13%दर्ज किया गया है जो काफी अधिक है। इससे नए ऋण वितरण मे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की तथा एनपीए का प्रतिशत हर हाल में कम करने का निर्देश दिया। इस पर श्री अंजन मोइत्रा ने कहा कि इसके लिए SARFAESI एक्ट एवं सर्टिफिकेट केस के तहत दर्ज मामलों का, जो पिछ्ले 2 से 3 वर्षो से पेंडिंग पड़े है, त्वरित निपटारा करने की आवश्यकता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनसे संबन्धित काफी मामले लंबित हैं एवं इनके निपटारे की गति काफी धीमी है। SARFAESI एक्ट से सम्बंधित मामलो की सूची जिलावार झारखण्ड सरकार को मुहैया कराने की बात कही गई ताकि इसके निपटारे में अपेक्षित गति आये | CGM, SBI ने education लोन में तेजी से बढ़ती NPA कि स्थिति पर अपनी चिंता जताई। इस पर आर बी आई के महाप्रबंधक श्री बारला ने कई बैंको द्वारा सही समय पर education लोन खातों में interest सब्सिडि नहीं दिये जाने को भी बढ़ती हुई NPA की स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया। RBI के क्षेत्रीय निदेशक ने सुझाव देते हुए कहा कि आनेवाले 57वी बैठक में राज्य के शीर्ष 10 डिफाल्टर का लिस्ट मुहैया कराया जाय जिस पर सभा में चर्चा की जा सके |	समस्त बैंक एवं राज्य सरकार
<u>कार्य सूची संख्या-8</u>	इस विषय पर चर्चा करते हुए बतलाया गया कि 2083 के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों को अभी तक कुल 264 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जिसमे 162 आवेदनों की स्वीकृति कर दी	समस्त बैंक

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	गई है एवं 63 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। बैंकों से कहा गया कि आवेदनों पर विचार करने से पूर्व ई-ट्रेकिंग अवश्य कर लेनी चाहिए।	
कार्य सूची संख्या-9 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का संचालन	पिछले तिमाही के दौरान वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा 548 एवं ग्रामीण शाखाओं द्वारा 1821 शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता प्रदान किया गया। आगे भी उन शाखाओं को एवं FLC केन्द्रों को अपने-अपने आवंटित सभी सत्रों मे वित्तीय साक्षरता प्रदान करना जारी रखना पड़ेगा। CGM, NABARD ने बैंको द्वारा FLC चालू करने के लिए लिए गए advance को लौटने की बात कही यदि 31.03.2016 तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होने कहा कि उन FLCs को जिन्होने 1 साल के लिए capex एवं 2 सालों के लिए operational cost का पूरा पैसा नाबार्ड से ले लिया है, उन्हे अपने FLC के विधिवत संचालन होने का certificate देना है।	समस्त बैंक

कार्य सूची संख्या-11 विविध कार्य सूची 1. RBI के वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार TIRE II से TIRE IV केन्द्रों में पेयजल सुविधा एवं स्वछता सहित घरेलु शौचालय के निर्माण एवं घरेलु जल स्तर को बढाने से सम्बंधित 5 करोड़ रूपये के बैंक ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत social infrastructure में वर्गीकृत किया गया है | पेयजल एवं स्वछता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार बैंकों द्वारा शौचालय निर्माण के लिए ऋण देने की अनुशंसा की गई है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों का इसके प्रति ध्यान आकर्षित किया जाता है. (प्रस्तावक: भारतीय रिजर्व बैंक)	इस पर बतलाया गया कि घरेलु शौचालय के निर्माण,पेयजल के लिए पंप सेट, डीप बोरिंग आदि के लिए social infrastructure के तहत दिये जाने वाले ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अन्तरगत वर्गीकृत किया जायेगा |	समस्त बैंक
2. मियादी ऋण में ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों का अंश दान अत्यंत कम होने के कारण इन बैंकों की मियादी ऋण में अपेक्षित वृद्धि हेतु रणनीतिक कार्ययोजना बनायी जाय | (प्रस्तावक: NABARD)	ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक को इसके लिए कार्य योजना बनाने को कहा गया |	ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक एवं NABARD
3. SLBC बैठक में स्टैंड अप इंडिया योजना की लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा (प्रस्तावक: NABARD)	इस पर श्री मोइत्रा ने कहा कि इस योजना के प्रगति की समीक्षा आने वाले अगले बैठक में की जायेगी | साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी देने के लिए कार्याशाला किया जाना आवश्यक है | CGM, NABARD ने बताया कि सभी LDMs को कार्यशाला आयोजित कर इसकी जानकारी दी जा चुकी है एवं अब उनके द्वारा अपने जिले में सभी बैंको को जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए।	समस्त बैंक एवं नाबार्ड
4. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण परिवार के कुल आय को साल 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है | इसे ध्यान में रखते हुए बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में ऋण संवितरण में अपेक्षित वृद्धि लाने की आवश्यकता है |	उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों का ध्यान इस बिंदु की ओर आकृष्ट किया गया | CGM, NABARD ने सभी शाखा प्रबन्धकों को इस कार्य में तेजी लाने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन गावों में जाने कि बात कही। SLBC के महाप्रबंधक श्री एस के मुखर्जी ने बताया कि दिल्ली में हुई नाबार्ड कि बैठक में साल 2022 तक ग्रामीण	समस्त बैंक

उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों का ध्यान इस बिंदु की ओर आकृष्ट किया जा रहा है | (प्रस्तावक: NABARD)	परिवार के आय को दुगुना करने के लिए सभी तरह के ऋण जैसे शिक्षा ऋण, व्यवसाय के लिए ऋण आदि देने कि बात की गयी और पूरे देश में तीन राज्यों, गुजरात को milk production, मध्य प्रदेश को agriculture एवं झारखंड को महज 3 महीने में 175000 डोभा निर्माण के लिए विशेष रूप से सराहा गया।	

सभाध्यक्ष की अनुमति से AGM, RBI श्री अमित सिन्हा ने कहा कि कई बैंक अपनी कुछ शाखाओं क संचालन उन जगहों के बजाय अन्य जगहों पर कर रहे है जहां के लिए उन्हे RBI द्वारा licence दिया गया है। उन्होने यह भी कहा कि कई currency chest अपनी लिंक branches कि अपेक्षित सहायता नहीं कर रही हैं। उन्होने सभी LDMs से अपने जिला में DLDC कि बैठक 15 दिनों के अंदर पूरा कर लिए जाने की बात भी कही। साथ ही उन्होने कहा कि बैंको द्वारा जितनी तवज्जो NRLM को दी जाती है उतनी NULM को नहीं और इन सभी मुद्दों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री हर्ष मंगला, निदेशक, शहरी विकास विभाग ने अगले SLBC मीटिंग से NULM को भी अजेंडा में शामिल करने की सलाह दी। उन्होने बताया कि NULM के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 70% अभ्यर्थियों का placement और 25% का अपना स्वयं का venture स्टार्ट करने का अनुमान होता है। उन्होने आगे कहा कि इस वर्ष 60000 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण बजट को ध्यान में रखते हुए 15000 प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहता दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को सभी बैंको में वितरित किया गया है। अब तक 2833 आवेदन बैंको को भेजे जा चुके हैं परंतु बैंको द्वारा केवल 162 आवेदनों कि स्वीकृति हो पायी है। उन्होने बाकी बचे आवेदनों के जल्द निपटारे की सलाह दी।

श्री एन॰ एन॰ सिन्हा ने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो NULM के लिए अलग से एक सब कमिटी का गठन किया जा सकता है और इस पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है। श्री अमित सिन्हा ने NRLM और NULM के अंतर को बतलाते हुए कहा कि NRLM के अंतर्गत एसएचजी को ऋण दिया जाता है जबकि NULM के अंतर्गत व्यक्तिगत, छोटे समूह जो 5 की संख्या मे हों एवं एसएचजी इसके अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। NULM के लिए अलग सब कमिटी बनाने की बात पर सहमति हुई।

अंत मे श्री मोईत्रा ने आर बी आई के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम॰ के॰ वर्मा को समापन भाषण के लिए निमंत्रित किया। श्री वर्मा ने अपने समापन भाषण मे कहा कि वे कुछ बाकी रह गई बातों पर सभा का ध्यान दिलाना चाहते हैं। उन्होने कहा कि वैसी शाखाएँ जो एक निश्चित स्थान पर शाखा खोलने के लिए मिले लायसेंस के विरुद्ध अन्यत्र जगह पर कार्य कर रहे हैं, 3 माह के अंदर अपने स्थान मे वापस हो जाएँ, अन्यथा उन्हे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा एवं आरबीआई द्वारा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। आगे उन्होने कहा कि कुछ ही बैंकों के पास currency chest हैं। वैसे बैंक जिनके पास currency chest नहीं है और उन्हें आरबीआई द्वारा जिस currency chest से लिंक कर दिया गया है, उन्हें इनकी सुविधा देनी है। लेकिन कुछ currency chest से इन बैंकों को कार्य करने मे परेशानी हो रही है। उन्होने कहा कि currency chest आरबीआई एवं भारत सरकार का है, अगर किसी को भी currency chest बैंक से सुविधा नहीं मिलती है तो उनकी शिकायत पर करेंसी चेस्ट पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। साथ ही उन्होने करेंसी चेस्ट की सुरक्षा पर पूर्व मे किए गए जिक्र को विशेष रूप मे दुहराया। राज्य में बैंकों के बढ़ते एनपीए के बारे मे जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि वे अचंभित हैं कि राज्य का net एनपीए का प्रतिशत 6.13 है। यह एक गंभीर विषय है। इसमे बैंकों मे चर्चा होनी चाहिए कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। बैंकों द्वारा due diligence सही रूप से नहीं किया जा रहा है साथ ही ऋण के disbursement के बाद पर्याप्त

monitoring नहीं होने के कारण NPA की यह स्थिति बन गई है। उन्होने कहा कि हाल मे ही आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के द्वारा ऋण मे दिये assets का quality review कराया गया जिसमे काफी अनियमितता पायी गयी। अतः बैंकों को एनपीए से बचने के लिए इन सब बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे उन्होने कहा कि सिर्फ KCC से ही हमारा सी॰डी॰ रेशिओ मे सुधार नहीं हो पाएगा, इसके लिए लम्बे अवधि के लिए कृषि ऋण देने की आवश्यकता है। लेकिन इस ऋण मे, सीएनटी एक्ट के कारण जो रुकावट आ रही है, उसके लिए विधायिकी मे अविलंब उचित बदलाव की आवश्यकता है। इन सब बातों के लिए सरकार एवं बैंकों को मिल कर विचार करना है ताकि राज्य का सही विकास हो सके। अंत में उन्होने कहा कि आज के सभा मे जो अजेंडा के विषय रहे हैं और जिन पर चर्चा की गई है, इसका कार्यान्वियन भी सुनिश्चित करना होगा अन्यथा यह सिर्फ कागज में लिखे शब्द भर रह जाएंगे।

तत्पश्चात SLBC के महाप्रबंधक श्री मुखर्जी ने कहा कि CD ratio मे सुधार, नए शाखाओं का खोला जाना एवं आधार सीडिंग पर सभी बैंकों को विशेष ध्यान देना है। उन्होने लक्ष्मी विलास बैंक को विगत कुछ वर्षों मे चार गुना CD ratio की स्थिति प्राप्त कर लेने पर बधाई दी। आगे उन्होने कई निजी बैंकों के CD ratio के मजबूत स्थितियों से बाकी बैंकों को सीख लेने की आवश्यकता की बात कही।

सभा के अंत में श्री रवि भूषण सहाय, उप-महाप्रबंधक, यूको बैंक ने सभी गणमान्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया । तत्पश्चात एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एस.के.मुख़र्जी ने सभी का धन्यवाद करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा की।

(ईश्वर चन्द्र मिश्रा)
उप-महाप्रबंधक